न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 6/2024

उनवान

गीतादेवी पत्नी रामचरण जाति वैष्णव निवासी ग्राम कानपुरा, नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री गोरधन गुर्जर

बनाम

1. मथुरा पत्नी कानाराम
2. रामलाल पुत्र हजजारी जाति जाट निवासी ग्राम कानपुरा, नसीराबाद
3. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

——— अप्रार्थीगण :– 1 व 2 अनुपस्थित
3 जरियें राज0 पैरोकार

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0 राज0 अधि0 1956

दिनांक :– 5.8.24

–: आदेश :–

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कानपुरा के हाल खसरा नम्बर 3039 रकबा 0.25 व 3040 रकबा 0.11 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। आराजी मुतनाजा की सुरक्षा के लिये पत्थरगढाई का आवेदन पेश किया गया है। पडौसी खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 2 द्वारा दखलदांजी करते हुये नियमानुसार पत्थरगढी की बात कहते हुये सीमांकन पर एतराज किया गया। प्रार्थी अपनी आराजी की सुरक्षा करवाना चाहता है जिसके लिये पत्थरगढी करवाना आवयक है। उक्त आराजी की पत्थरगढी के अभाव में अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी के आदेश पारित करावे।

अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। आराजी मुतनाजा प्रार्थी की एकल खातेदारी की है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.06.22 को उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाया गया। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण व उनके मध्य मौके पर विवाद है। पत्थरगढी करने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेतो की सीमा की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी एवं विवाद समाप्त होगा। पत्थरगढी करने से अप्रार्थीगण के हितों [illegible] पडेगा। राज0 पैरोकार ने प्रकरण का खण्डन नही किया है। अप्रार्थीगण अ[illegible] पत्थरगढी के समय भी प्रस्तुत कर सकते है।

अतः ग्राम कानपुरा के हाल खसरा नम्बर 3039 [illegible] 0.25 व 3040 रकबा 0.11 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद आवेदनकर्ता व अप्रार्थीगण की विधिवत उपस्थिति में [illegible] आराजी की पत्थरगढी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:14:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:14:39 IST
Reason: SelfAttested